

19-20


ISSN 0975-119X

UGC-CARE GROUP I LISTED

वर्ष 12 अंक 1 जनवरी-फरवरी 2020

द्वारिचौटी

कला, मानविकी एवं वाणिज्य की मानक शोध पत्रिका



India's Leading Refereed Hindi Language Journal

IMPACT FACTOR : 5.051

दृष्टिकोण

फल, गानधिनी एवं याणिहर्य की मानक शोध पत्रिका

संपादक

डॉ. अष्ट्रिवनी महाजन
रीडर, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

दृष्टिकोण प्रकाशन

WZ-724, पालम गांव, नई दिल्ली-110045

दृष्टिकोण

भारत में लोकतान्त्रिक विकल्पीकरण और पंचायती राज—डॉ० गुलाब बाई मीना	1532
माध्यमिक और राष्ट्रीय सेवा योजना: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन—डॉ० सरोज मीणा	1535
कमज़ोर लोक सेवा प्रशायगी: लोक शिकायत—डॉ० ज्ञान चन्द्र भारती	1539
सुशासन के लक्ष्य को प्राप्ति सूचना के अधिकार से सम्भव—डॉ० सुशीला देवी मीणा	1547
21वें सदी में भारत-रूस एवं चीन के मध्य त्रिकोणीय, संबंधों का विश्व व्यवस्था पर प्रभाव—नन्दराम खटीक	1550
भारत के ज्ञानीन शिक्षा व्यवस्था में गुरुकुल का महत्व—प्रभु दयाल जयंत	2659
अवैध कूड़ा निस्तारण (डॉपिंग) का स्थानीय पर्यावरण पर प्रभाव: एक अध्ययन—हिमांशी शर्मा; डॉ० नरेन्द्र सिंह यादव	1557
समकालीन कहानियों में अस्मिता-बोध-कोमल कुमारी	1563
महिलाओं के संबंध में कानून बनाने में राजर्षि शाहू महाराज का योगदान—डॉ० अनिल विठ्ठल बाविस्कर ●	1566
पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण-वास्तविक अथवा भ्रान्ति—डॉ० जोगेन्द्र सिंह खोखर	1569
नवभारत के निर्माण में श्रीमद्भगवद्गीता की अन्तर्दृष्टि—डॉ० सन्तोष देवी	1575
राजस्थान में बढ़ता खाद्य पर्यटन: चुनौतियां एवं संभावनाएं—सुरेश कुमार मीणा	1579

महिलाओं के संबंध में कानून बनाने में राजर्षि शाह

महाराज का योगदान

डॉ० अनिल तिठल बालिक्षण

सहयोगी प्राच्यापक, इतिहास विभाग प्रमुख, कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, अक्कलकुवा, महाराष्ट्र

परिचयात्मक:

भारत की सज्जा पुरुष प्रधान संस्कृति में महिलाओं पर कई तरह के अत्याचार और अचाय होते थे। महिलाओं का जीवन घूंट प्रथा, विधवा-विवाह प्रतिवंश, रिक्षा प्रतिवंश, बात बिवाह जैसी पारंपरिक परंपराओं से पूरी तरह से बचा हुआ था। इस पर से परदा उठाने का काम अनेक समाज सुधारकों ने किया। इसमें महान् ज्ञानीराज फुले, आगरकर शामिल थे। महसि कर्वे नेभी स्त्रियों को शिक्षित करने का प्रयास किया। महिला फुले ने महिला शिक्षा आंदोलन की शुरुआत की। दरअसल वह महिला मुक्ति आंदोलन था। राजर्षि शाह, महाराज ने इस आंदोलन को प्रोत्साहित किया। लेकिन महिलाओं के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए कई कानून बनाए गए। समाज और परिवार द्वारा महिलाओं के शोषण को रोकने के लिए बहुत प्रयास किए गए। राजर्षि शाह, महाराज ने महिला समाजकरण के लिए कई कानून पारित किए।

1) विधवा पुनर्विवाह अधिनियमः

जुलाई 1997 में, शाह महाराज ने अपने राज्य में विधवा पुनर्विवाह को वैध बनाने वाला कानून पारित किया। विधवाओं के पुनर्विवाह में अनेक कठिनाइयाँ थीं। इन कानून के तहत हत्या गया था। इसने महिलाओं के खिलाफ अन्याय के प्रतिरोध का एक साधन प्रदान किया। शाह महाराज के अनुसार विधवा विवाह को कानूनी मानवता प्राप्त है। वह जनसाक्ष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। वर्ष 1919 में कानूनपुर की कुर्मी शक्तियाँ परिषद ने कुर्मी शक्तियों में विधवा विवाह दखाकर संतोष व्यक्त किया। शक्तिय, जाति, भूमि, व्यभिचार आदि। उन्होंने भरोसा जाताया कि वह जात्य से सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने स्कैन सिस्टम की भी सावर्जनिक रूप से नियंत्रण की। भारतीयों में वह स्पष्ट मत था कि पड़दा प्रथा, विधवा विवाह पर रोक और किसी के साथ भोजन न मिलाना प्राप्ति के लिए हानिकारक है। अहं शक्तिय महिलाओं ने भी रुच का रथ चलाया है। युद्ध के बेतान में उसमें से लड़ाई लड़ी जाती है। अगर वे पड़दा पद्धत में होते तो वह संभव नहीं होता। शाह महाराज महिलाओं के प्रति हो रहे अचाय से बहुत नाराज थे। शाह महाराज ने समाज में अंतरजातीय विवाह कानून बनाकर पुरुषों और महिलाओं की समाजिक स्वतंत्रता को बढ़ावा दी।

2) अंतर्जातीय विवाह अधिनियमः

यह अधिनियम 12 जुलाई 1919 को कोल्हपुर जिले में “विवाह अधिनियम के रूप में प्रख्याति किया गया था। उस समय अंतर्जातीय/अंतरधार्मिक विवाह अवैध थे। क्षार्कोंक वे शास्त्र सम्मत नहीं थे। जो लोग शादी करने की हिम्मत करते थे, खासकर महिलाएं, उन्हें बड़ा खतरा होता था। महाराजा ने एक कानून हुआ। वह समाज सुधार के लिए एक क्रांतिकारी कदम था। लगभग इसी समय, वर्ष 1998 में, विठ्ठलपाई पटेल ने केंद्रीय विधानसभा में अंतर्जातीय विवाह को वैध बनाने के लिए एक विधेयक पेश किया। वह देश के लिए एक विधेयक का घोर विरोध ने इसका समर्थन किया। महाराजा ने इस विधेयक का समर्थन किया। कुतीकोटि का घोर विरोध ने इसका समर्थन किया। महाराष्ट्र में, गो-ब्राह्मण दलों की मंडलियों ने इस विधेयक को अपनाया। पटेल विधेयक के रूप में रुद्धिवादी सुधारकों के बीच संघर्ष करना था। विधेयक के लिए, विवाह पंजीकरण के समय दूल्हे की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, वह प्रतिवंश लाया गया था। केंद्रीय विधानसभा ने ‘सहमति की आयु विधेयक’ पारित किया और विवाह के समय दूल्हन की आयु 14 वर्ष होनी चाहिए। इससे पहले वर्ष 1891 में, कानून पर कही आयति लेते हुये वह हिंदू धर्म पर हमला हुआ था। दूल्हन की उम्र 14 वर्ष होने के लिए कोल्हपुर ने फिर भी कानून बनाने की धौमणा कर दी थी।

उसके अधार पर, हिंदुओं और जैनियों को बिना जाति प्रतिवंश के किसी भी धर्म के लोगों से शादी करने की अनुमति थी। आपस में उनकी शादी कानूनी कानून में एक रात थी कि पुरुष ने 18 साल पूरे किए और महिला ने 14 साल पूरे किए। फिर 1891 में अंग्रेजों ने एक्ट बनाया। उसमें 12 वर्ष की आयु

पर वही निश्चय और उत्तर अनुभवी हो और विद्या का ज्ञान 14 वर्ष के सम की कार्यसूत्र प्राप्तियोगिता होगा। कल्पकों इसमें एक विशेष छोड़ एक पहिला को अपना साथी बुनने की स्थिति त्रैयों में बन रखा गया था। यह विभिन्न विद्याओं के परिचयिक उत्तीर्ण पर मात्रपानीपूर्वक विचार किया था और उनके क्रूर व्यवहार

प्रतिबधि त करन वाला आवानमः

जब वे महिलाओं - अवसरेत जबरदस्त था ममाज के कमज़र कम के गाँव जैश और ममानता की अवलोकन उनकी भूमिका थी। यह वर्षों से वही महिलाओं के साथ चुराताप॑ अवलोकन करने पर योक लगा दी। हालांकि उन्होंने इस मिदात को स्वीकार किया कि शिक्षा के प्रसार के लिए वही महिलाओं के साथ चुराता होता है। उन्होंने महसूस किया कि प्रगति धीमी थी। इस कानून के उत्तराधि की व्यवस्था में वही बहुत बड़ी चुराता होता है। यही नींवें क्रम और अवलोकन से है, इसमें उन्होंने डस्ट्रेस का कोई नहीं देखा है। उत्तराधि के लिए कानून की संवादीता की आवश्यकता होती है। ममी नींवें क्रम और अवलोकन से है, इसमें उन्होंने डस्ट्रेस का कोई नहीं देखा है। उत्तराधि के लिए लोगों के सामाजिक सुधार लाने का काम किसीनी मद्दत से किया जा सकता है। उत्तराधि के लिए लोगों के सामाजिक सुधार लाने का काम किसीनी मद्दत से किया जा सकता है। उत्तराधि के लिए लोगों के सामाजिक सुधार लाने का काम किसीनी मद्दत से किया जा सकता है।

जब तक मन्दि को कानून के प्रय को आवश्यकता हो उन्होने इस पर ध्यान दिया था तबके अनुसार, कोटि विषय समाज में संस्थानक सुधार लागू करना चाहिए औ ऐसे व्यवहार महिलाओं की पीड़ि को ध्यान में रखते हैं। कानून किसी भी प्रकार के उल्लंघन की अनुमति नहीं देता है। साथ ही, जनों ने शिक्षाप्रदाता न करे, इसलिए यह कानून जल्दी भी इस अधिकारियम में कुल 19 भारती औ राजा 6 माह के कारणास पर्व 500

ज्ञानपत्रिका ने 1979 में अपने गुरुत्व के लिए

३४ अध्यानयमः

पुलमा निषेध अधिनियमः
ये ये कानून हैं जो शाहू प्रधारण की छप्पांच में और बदले हो तथा शाहू प्रधारण की छप्पांच
में का उपलब्ध उद्देश्य जाता था कुछ जातियों में ये अपने लिये की संपत्ति के विरुद्ध नहीं हो पाकरे दो प्रधारण वे इस विधि के द्वारा को जापा दियेगा।
ते कानून ने ऐसे उन लोगों के लिए उपलब्ध कराया जो अब तक योग्य थे।

दृष्टिव्यापोणा

इसरे नियम के अनुसार, जोगतिनी देवदासी किसी भी स्थिति में पैतृक परिवार या किसी अन्य की उत्तराधिकारी नहीं है। प्रावधान किया गया था कि कुछ आधिकार अर्जित नहीं होंगे क्योंकि उन्हें भागवन के लिए छोड़ दिया गया था। चर्तमान अधिनियम के उद्देश्य जोगतिनी का मतलब उन महिलाओं को होताहित करना था जो इस दृश्य प्रथा से देवदासी बनना चाहती थीं। भागवन के नाम पर तलाक देने वाली बैटियों का पैतृक घर से कोई संबंध नहीं था। साथ ही विरामात् का अधिकार भी नहीं था। शाहू, महाराज ने देवदासी प्रथा को प्रतिबंधित करने वाला कानून पारित किया और इन महिलाओं को अपने माता-पिता से उत्तराधिकार का अधिकार दिया गया। इसलिए देवदासी प्रथा को नीच ही नट हो गई। इस अधिनियम की सहिता में शाहू, महाराज ने उद्देश्य की व्याख्या की है - जोगतिनी मुरली, देवदासी के अधिकार रद्द कर दिए गए थे और उनके द्वेषज को अमान्य कर दिया गया था, इसलिए उन्हें उनको कुप्रथाओं से मुक्त करने और उन्हें एक 'स्वतंत्र' जीवन देने के लिए यह कानून बनाया गया था।

निष्कर्ष:

शाहू, महाराज ने अपने शासन काल में महिलाओं के सामाजिक स्थिति के अधिकारों की रक्षा करने वाले कानून पारित कर अपने प्रातिशाल और लोकप्रिय कल्याणकारी शासन का प्रमाण दिया है। ऐसे कानून पास होने का मतलब यह नहीं है कि समाज में महिलाओं का उच्चीड़न बढ़ हो जाएगा। क्योंकि आजानके दृश्य रहे हैं कि महिलाओं के विवाह किया गया। अपने चरम पर पहुंच चुकी हैं। इसके समाधान के लिए शमिला आयोग का गठन अनिवार्य किया गया। लेकिन फिर भी यह साझे कर्म की स्थिति में भी महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने वाले ऐसे कानून नहीं थे और अंगेंजों को शासन करना था, इसलिए वे परपरावादियों के क्रोध का जैसे कि देवदासी, और समाज के विवाहस्थिति गिरि-रिवाजों के अधीन थी। आजानी के बाद के दोर में कई अंतर्रोक्त कानून बनाए गए। लेकिन लाभा 500 संदर्भ:

- 1) पवार, ज. (संपादित) (2001) राजसी शाहू, स्मारक ग्रंथ (प्रथम संस्करण), प्रकाशक: निरेशक महाराष्ट्र इतिहास प्रबोधिनी, भारती प्रेस, कोल्हापुर।
- 2) पवार, ज. (संपादित) (2001) राजसी शाहू, छप्रपति, विविध साहित्य (खंड 3), खंड-1। अंतर-जातीय और अंतर-धार्मिक विवाह और पंजीकरण प्रक्रिया को मान्यता देने वाला अधिनियम, प्रकाशक: निरेशक महाराष्ट्र इतिहास प्रबोधिनी, भारती प्रेस, कोल्हापुर। इसा पूर्व 1015-2020।
- 3) पवार, ज. (संपादित) (2001) राजसी शाहू, छप्रपति: विविध साहित्य (खंड 3) खंड 1। महिला उत्तोड़न निवारण अधिनियम, प्रकाशक : निरेशक महाराष्ट्र इतिहास प्रबोधिनी, भारती प्रेस, कोल्हापुर। इसा पूर्व 1021-1023।
- 4) पवार, ज. (संपादित) (2001) - राजसी शाहू, छप्रपति: विविध साहित्य (खंड 3) खंड 1। महिला उत्तोड़न निवारण अधिनियम, प्रकाशक : निरेशक महाराष्ट्र इतिहास प्रबोधिनी, भारती प्रेस, कोल्हापुर। इसा पूर्व 1024-1028।
- 5) पवार, ज. (संपादित) (2001) - राजसी शाहू, छप्रपति: विविध साहित्य (खंड 3), खंड-1। विभिन्न जाति धर्मों के लिए कोल्हापुर का कर्दीमोद अधिनियम, महाराष्ट्र इतिहास प्रबोधिनी, भारती प्रेस, कोल्हापुर। इसा पूर्व 2011-1032।

Volume 10 (Special Issue 4)
January 2020

Journal of Research and Development

A Multidisciplinary International Level Refereed Journal

A Multidisciplinary International Journal of Behavioral Research



4.270

RESEARCH

भारतीय प्रजासत्ताक दिनानिपित्...

२६ जानेवारी २०२०

Research Methodology

સંશોધન પદ્ધતિ

Editor : Dr. R.V. Bhole

'Ravichandram' Survey No-101/1, Plot No-23, Mundada Nagar, Jalgaon (M.S.) 425102
Email - info@jdrvb.com Visit - www.jdrvb.com

62	इंद्रायणी जानेश्वर संदर्भ	संगोष्ठन पद्धति : स्वरूप, व्याप्ति व रूपे	210-211
63	प्रा.डॉ. अनिल विठ्ठल वाचिकर	"तथ्य संकलनाची तंत्रे"	212-215
64	प्रा.डॉ. सुधाकर नारायण भालेराव	सामाजिक शास्त्र, साहित्य संगोष्ठन : तुलनात्मक पद्धति	216-218
65	प्रा.डॉ. मधुकर आ. देसले	"सामाजिक संगोष्ठनातील मुलाखत तंत्राचे फायदे-नोटे एक समाजशास्त्रीय अभ्यास"	219-221
66	प्रा. डॉ. शकुंतला एम. भारंवे	मराठी वाडमयातील संगोष्ठन क्षेत्र	
67	प्रा.डॉ. भासरे नानाजी दगा	इतिहासातील संगोष्ठनाचा पावऱ्या	222-224
68	प्रा.डॉ. सौ. मुम्पा प्रमोद पाटील	"भारतात सामाजिक संगोष्ठनाची आवश्यकता व उपयुक्तता"	225-229
69	प्रा.डॉ. रविंद्र दाढ़ वाघ	सामाजिक संगोष्ठनात अहवाल लेखनाचे महत्त्व	230-232
70	प्रा.डॉ. अरुण उखा पाटील	"सामाजिक संगोष्ठनातील मुलाखत तंत्राचे फायदे तोटे एक समाजशास्त्रीय अभ्यास"	233-235
71	श्रीमती सुलक्षणा किसनरात भरांडे	संशोधन अहवाल लेखन पद्धति : एक अभ्यास	236-238
72	Mr. Bitu Shivaji Molane	सोलापूर विद्यापीठातील ऑथेलेटिक्स खेळांच्या शारीरिक शमतांचा चिकित्सक अभ्यास	239-241
73	Dr. Wanguijare S. A.		242-244
74	प्रा.डॉ. डी.डी. राठोड	"संशोधनाची रूपरेषा आणि गृहितके"	245-246
75	प्रा.डॉ. राजधर चेंगाम बोडसे	संशोधनातील प्रश्नावलीचे फायदे व तोटे	247-249
76	Dr. Jagdish J. Patil	How To Write Research Report ?	250-251
77	Dr. Pramod Bhumbe	Research Methodology in Social Work	252-253
78	Vijay Bajirao Jadhav, Dr. Anil M. Chaudhari	Research Methods in context of LIS	254-256
79	Jadhav S.L.	Writing the Research Report	257-259
80	प्रा. पम.जी. वसारे	अनुसन्धान में निवर्णन पद्धति के गुण एवं रोप	260-262
81	प्रा. इंश्वरराव ठोके	नमुना निवडीचे तंत्र व प्रकार	263-268
82	प्रा. राधेश्याम गं. ठाकरे	संगोष्ठनाची उद्दिष्टे व महत्त्व	269-270
	श्री. मुनिल छोटे पवार	परिचम खासेशातील संपुरक महाराष्ट्र चाळवळीत आचार्य	271-274
	प्रा.डॉ.संजय जियाझक गारीबी	प्रा.के.अंत्रे यांचे प्रबोधन	

"तथ्य संकलनाची तंत्रे"

प्रा.डॉ. अनिल विठ्ठल बाबिस्कर (सहयोगी प्राध्यापक, इनिटिएटिव विषय
विद्या विकास मङ्डळाचे कला व वाणिज्य महाविद्यालय, अमरकल्यांवा नि. नं. ३५७०)

● प्रस्तावना -

मंगोळन ही एक संरचनात्मक चौकळी आहे जी सामन्वत उपयोजित नवीन ज्ञानाची निर्मिती करण्यासाठें शीर्ष समस्या सोडविषयासाठी स्वीकृत गार्थीय पद्धतींचा वापर करते. मंगोळन या ग्रन्थाला अनेक अर्थ आहेत आणि त्यांनी तत्त्वोत्तम व्याख्या प्रवेक किंवद्यावधनुसार आणि तज्ज्ञानुसार वेगादी असते. मंगोळन हे फक्त कौशल्यांचा संच नाही, सर्व विचार करण्याचा मार्ग आहे. या विचारांच्या चौकटीत सामान्यतः निरीक्षण, अन्वेषण, निष्कर्ष, अनुमान, सरावाची गुणवत्ता, कौशल्य, तक्कवृद्धी, व्याथांत, परिणामकारकता आणि कार्यक्षमता याचे सम्बोल ज्ञान मिळवता येते. मंगोळन हे विषय, चौकस दृष्टिकोन विकसित करते. मंगोळन तांकिक आणि वृद्धिप्रामाण्याच्या विचाराचा मार्ग विकासित करते आणि आणल्या देवनंदिन परिस्थितीति प्रवेक पैलूंचे चिकित्सकपणे परीक्षण करण्यासाठी ग्रांतीहान देते. मंगोळनातून प्रज्ञानाचे तर मिळविषयासाठी माहिती संकलित करणे, तिचे विश्लेषण करणे आणि माहितीचा अर्थ लावण्याची प्रक्रिया होते. मंगोळन कृप्त त्याला दजो प्राप्त होण्यासाठी त्यात काही निषिद्ध वैशिष्ट्ये असावी लागतात आणि काही अपेक्षा पूर्ण दर्शक लागतात. ग्रन्थावर ते नियंत्रित, पद्धतशीर, तात्र, वैश आणि पुनर्संपादणी करण्याजोगे, अनुभवजन्य आणि विरक्तजन्य असावे. संगोष्यानाच्या ग्रास्त्रीय पद्धतीत पद्धतशीर निरीक्षण, वर्गाकरण आणि तथ्यांचे संकलन यांचा प्रामुख्याने समावेश होतो.

● तथ्य संकलनाच्या पद्धती -

तथ्य संकलनाच्या वहुतेक पद्धती अभ्यासासाठी वापर करक्ता ज्यांचे वर्गाकरण गुणात्मक, संख्यात्मक किंवा मंगित पद्धतीत होते. वस्तुत: एखाद्या अभ्यासासाठी तथ्य संकलित करावर्ची पद्धत मोऱ्याचा प्रमाणात अभ्यासाचा वर्गाकरणावरून निषिद्ध तोते. यातील फरक हा मुख्यत: चौकळी मागचे तत्वज्ञान, माहिती संकलित करण्यातील मांग व रचना यात स्वातंत्र्य आणि लवचिकता, आणि संगोष्यन प्रयोगाचे उत्तर मिळवण्यासाठी संगोष्यक मृप्त असलेली मोऱ्यांक आणि सखोल विचार हा आहे. संख्यात्मक संगोष्यानात ही वंशने पाळली जातात, परंतु गुणात्मक संगोष्यन मात्र याला विशेष करते. ही वंशने किंवा लवचिकता सांप्रदय पद्धतीति अभ्यासात विशिष्ट पद्धती कशा आणि का अवलंबिल्या जात आहे यावर अवलंबून आहे. संख्यात्मक, गुणात्मक किंवा सांप्रदय पद्धतीने वर्गाकरण हे खालील प्रयोगाच्या उत्तरावर अवलंबून आहे. जर अनुभवाधारित तात्त्विक ज्ञानमीसांसा स्वीकृतरती असेल, असरंचित आणि लवचिक चौकट वापरून माहिती संकलित केली असेल, तथ्य संकलन प्रक्रिया करताना मुळे ओळखले असलीत, माहिती वर्णनात्मक किंवा निवेदन स्वरूपात नोंदविली असेल, वर्गाकृत व वर्णनात्मक पद्धतीने विश्लेषण केले असेल, अनुमाने विश्लेषणात्मक पद्धतीने संप्रोत केले नमतोली तर, ही संगोष्यन प्रक्रिया गुणात्मक मृप्त ओळखली जाते. अन्यथा ती संख्यात्मक असते. जर एकापेक्षा जास घर्णजे संख्यात्मक किंवा गुणात्मक किंवा दोन्ही पद्धती नोंदविल्या असलील तर ती गुणात्मक माहिती असते, परंतु ती जर वर्गाकृत चौकटीत किंवा वर्णनात्मक पद्धतीने नोंदविली असलील तर ती गुणात्मक माहिती असते. परंतु ती जर वर्गाकृत चौकटीत किंवा वर्णनात्मक पद्धतीचे वर्गाकरणाची सांप्रदय पद्धती होय. याचप्रकारे मूलाखतीही तथ्य संकलित करताना, असराचात मूलाखत, वर्णनात्मक किंवा निवेदनात्मक स्वरूपात नोंदविली गोल्यास ती गुणात्मक पद्धती असते. परंतु संरचित मूलाखतीत जर माहिती प्रतिसादात्मक गटात विकसित केली असेल किंवा गट जर वर्णनात्मक प्रतिसादात्मक विकसित केले असलील आणि त्यांची गणना केली असेल तर ती संख्यात्मक पद्धती असते. गृहीत हीतास, वर्णनात्मक लेखन, गट-मूलाखती हे नेहमीच गुणात्मक स्वरूपाचे असते. विशिष्ट लोकांचा गट, मौर्तिक त्याचे विश्लेषण केशा प्रकारे गेले आणि अनुमाने केशा प्रकारे संप्रेषित केली होती या तीन वार्चावर गुणात्मक आणि संख्यात्मक दृष्टिकोनातील फरक अवलंबून असतो.

तथा संकलनीय सातीही समाचार, जबती किंवा प्राप्त अपेक्षा मानवीय प्रभावों द्वारा प्रभाव प्राप्त असाधारण असाधारण.

॥ प्रायमिक स्रोतोत्तन तथ्य संकलन -

प्राथमिक तथ्ये मिठ्ठवण्यसाठी अनेक पद्धती वापरता येत ग्रक्तात. पद्धतीची निवड ही अभ्यासाचा उद्देश, उपलब्ध कराल्याचा अभाव अशा मर्यादा असल्याने अभ्यासाची उहाटे साध्य करण्यासाठी अतिशय योग्य असलेली पद्धत वापरता एक ग्रक्त नाही. असा परिस्थितीत संगोष्ठक या समस्याविषयी जागरूक राहिले पाहिजे, कारण या मर्यादांचा परिणाम नव्याचा पुण्यवतेवर होतो. तथ्य संकलनाची पद्धत निवडताना अभ्यासार्थीन लोकसमृद्धाची सामाजिक, आर्थिक आणि नोंदवण्याच्यांची वैशिष्ट्ये महत्वाची भूमिका बजावतात. प्राथमिक तथ्य संकलित करण्यासाठी पुण्यत निरीक्षण पद्धती, मुख्यत पद्धती व प्रज्ञावली यांचा उपयोग केला जातो. या तीनही पद्धतीत लातील वोटेगळे उपयुक्त समाविष्ट असतात.

१) निरीक्षण पद्धती - प्राथमिक तथ्ये संकलित करण्याचा निरीक्षण हा एक मार्ग आहे. आंतरिकिया किंवा घटना जशी घडते गांग पद्धतेवर एकेण याचा हा जेवेग्रपूर्ण, पद्धतिशीर आणि निवडक मार्ग आहे. ज्यात तथ्य संकलनाची निरीक्षण ही सर्वांत प्रथम पद्धत आहे. गटातील आंतरिकियेचा अभ्यास करणे, लोकसमृद्धतील आहारपद्धतीचा अभ्यास करणे, एड्याएच्यापाराने केलेली कावृत्ती निश्चित करणे किंवा एड्याएच्या वर्तीपुढीच्या किंवा व्यक्तिमत्त्वाच्या विशेष लक्षणांचा अभ्यास करणे इ. साठी ही पद्धती उपयुक्त आहे. ज्यावेळी प्रश्न विचारल्या एड्याएच्या विशेषी घोर किंवा अचूक माहिती काढून या केत नाही, अभ्यासेची ही पद्धती योग्य असते. प्रतिसादक प्रतिसाद देताना साकारण करत नाहीत किंवा आवल्या उत्तरावाऱ्य त्वांना जाणीच नसते. शोडवयात, अवरीच्या आकलनापेक्षा तरीत अधिक सारांश असते किंवा प्रतिसादक हे ग्रोपरिक्षित इतके दोन असतात की ते चर्चूनिझ माहिती रेझ श्रवत नाहीत, अशा वेळी निरीक्षण पद्धती ही आवश्यक निरीक्षण. जेवा संगोष्ठकास संगोष्ठनाचीन गटाचा कावृत्तीप्रथा गटातील समस्यासाठे सहभाग घेता येते आणि गटातील संस्थांचा अपले निरीक्षण केले जात आहे हे ग्राहीत असते किंवा नसते त्याला 'संसाधारी निरीक्षण' असे म्हणाला. तर संस्था यांने जेवा संगोष्ठक मुख्यत गटाच्या कावृत्तीप्रथा सहभागी न होता तर स्थ निरीक्षक मुख्यत राहता, गटाच्या कुरी एकत्रत, प्राहात आणि त्यातून नियंत्रण काढतात ते 'तरस्थ निरीक्षण' होय.

२) मुख्यप्रत पद्धती - लोकांकडून माहिती संकलित करण्याची पुणाचत सी संसाधार्य पद्धती आहे. मुख्यप्रतीक्षा अनेक

108

१०८

प्रक्षतान, पाहतात आणि त्यातून निफक्षं काढतात ते 'तटस्थ निरीक्षण' हाय. २) मूलाखत पद्धती - लोकांकडून माहिती संकलित करण्याची मूलाखत ही सर्वसामान्य पद्धती आहे. मूलाखतीच्या अनेक बाब्यांचा आहेत. परंतु मनात चिरिण्य तेहूं ठेवून मूलाखत, ही प्रमुख्याने व्यवसी-व्यवसायीला आंतरक्रिया असते, जी म्हारामध्ये असते किंवा अन्य प्रकारे दोन किंवा त्याहून जास्त व्यवसायीमध्ये झालेली असते. मूलाखत ही शब्दांची देवघोष असते गेलेल्या नेते जी यात दरख्यानोचा वापर केला असला तरीही मूलाखतकार यातून दुसऱ्या माणसाची

माहीती, विचास किंवा मते काढून घेण्याचा प्रवत्त झरोत असतो. प्रतिसादकाची मुलाखत घेताना संशोधकास प्रचना व अशय निश्चित करण्याचे स्वातंत्र्य असते. प्रश्नात शब्दयोजना कशी करायची, प्रश्न कशा प्रकारे विचारावयं प्रश्नांचा क्रम कसा असणार आहे याचेही स्वातंत्र्य असते. प्रश्न विचारण्याची प्रक्रिया ही एकत्र लवचिक असतो. मुलाखतकार म्हणून अन्वेषणाधीन समस्येभोवती मनात जसे प्रश्न येतोल तसी त्याची रचना करता येते. प्रश्न विचार प्रक्रिया अलवचिक असते ज्यात पूर्वीच तवार करून ठेवलेले प्रश्न, त्यांचे शब्द, त्यांची रचना, क्रम आणि ते कशी विचारावयं चासूह काटेकोरपणे विचारावे लागतात. मुलाखत पद्धती मुख्यतः दोन उपप्रकारात विभागली जाते. i) असंरचित मुलाखती.

माळव्यात असलेले पूर्ण स्वातंत्र्य होय. कोणतेही प्रश्न विचारावला मोकळीक, परिस्थितीला समर्पक रचनेचा वापर, कुठले वापरावयं, प्रतिसादकांना प्रश्न करून स्पष्ट करून सांगावयं याबाबत पूर्ण स्वातंत्र्य मुलाखतीदरम्यान संशोधन असते.

असंरचित मुलाखत ही घटना, परिस्थिती, प्रश्न किंवा समस्या याबद्दल गहन, विस्तृत आणि सखाले अंतर्भुक्त असलेल्यासाठी ही अत्यंत योग्य आहे. यातन सखाले आणि विविध माहीती मिळते, जी वैविध्याता आणि सखाले अंतर्भुक्त असलेल्या प्रतिसादातून प्राप्त झालेल्या माहीतीचा उपयोग तुम्ही कसा करण्याची शक्यता आहे. प्रश्न मिळालेल्या प्रतिसादावरून तुम्ही संकेत तयार करता नंतर त्यांचे सांकेतीकरण व गणना केली जाते. गुणात्मक संशोधन एकत्रित हो वर्णन करणारे, शब्द न् शब्द जसाच्या तसा वापरलेले आणि मुद्द्यांमध्ये लिहिण्याच्या ओघात तोकक क्रम केलेले प्रश्न, तेच शब्द वापरून, त्याच क्रमाने विचारात असतो. निर्धारित मुलाखतीत विशिष्ट प्रकारे ठरवल्यानुसार पूर्वीच निश्चित घेतली जाते. यात लिहित स्वरूपातील प्रश्नांची यादी असते. निर्धारित संशोधन हेतून आणि मुलाखत घेतलेली, मुलाखतकरात काढून आणुषणिक उपयोगात आहे. संरचित मुलाखतीची घातीने तुलना करता येते. संरचित मुलाखतीची एक मुख्य फायदा म्हणजे यातन एकसाठे एकमेकांसमर्प्या आंतरिक्येसाठी वापरण्याकरिता, कदाचित समारात्समोर, दूरध्वनीद्वारे किंवा इतर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारा कोशल्याची गरज असते.

vii) प्रश्नावली

प्रश्न वाचतो, त्याच अर्पेक्षित अर्थ लावतो आणि नंतर उन्ने लिहिते. नियोजित प्रश्नांची किंवा वांदिस प्रश्नांची

आणि प्रतिसादकांच्या उत्तरांच्या नोंदवावची असतात. प्रतिसादकांनी उत्तर नोंदवावची असतो. हा फरक, दोन्ही पद्धतीतील सामर्थ्य व त्रुटी पाहण्यासाठी आणि प्रश्नपत्रिका या दोन्हीत आनुषणिक उपयोगात आहे.

प्रश्नावली, प्रतिसादकांना प्रश्नांचा अर्थ समजावून सांगण्यासाठी आणि तथ्य संकलित करण्यासाठी केल्या जाणणाऱ्या समजावला सोपी अशी असावला हवी. त्याची माझेणी सोपी, वाचता करेल, आणा प्रश्नांची वापरली जा-

रचना व आशय निश्चित करण्याचे स्वातंत्र्य असते. प्रश्नात शब्दयोजना कशी करायची, प्रश्न कशा प्रकारे विचारात येण्याचा क्रम कसा असार आरे याचेती स्वातंत्र्य असते. प्रश्न विचारण्याची प्रक्रिया ही एकत्र लव्हिका क्रमात येण्याची असते. प्रश्न विचारण्याची प्रक्रिया अतवरचिक असते ज्यात पूर्वीच तयार करून ठेवलेले प्रश्न, त्याचे शब्द, त्याची रचना, क्रम आणि ते क्यापास मुलाखती व ii) संरचित मुलाखती.

i) असंरचित मुलाखती - असंरचित मुलाखती जमेची बाजू म्हणजे रचना, आशय, प्रश्नांतील शब्दांची योजना आणि क्रमात कुळले वापरायचे, प्रतिसादकांना प्रश्न करून सांगायचे याबाबत पूर्ण स्वातंत्र्य पुलाखतीदरम्यान संगोष्ठीकृत मालाखत असलेले पूर्ण स्वातंत्र्य होय. कोणतेही प्रश्न विचारातला मोकळीक, परिस्थितीला समापक रचनेचा याप, गेझ असते.

असंरचित मुलाखत ही घटना, परिस्थिती, प्रश्न किंवा समस्या याबहल गहन, विस्तृत आणि सध्योल अनेहा जोडखण्यासाठीही अत्यंत योग्य आहे. यातून सखोन आणि विविध माहिती मिळते, जी वैविध्यता आणि योग्य तोंदा आहे. असंरचित मुलाखत ही गुणात्मक आणि संख्यात्मक अशा दोन्ही संगोष्ठन पद्धतीत प्रचलित आहे. प्रश्नांना मिळालेल्या प्रतिसादावरून प्राप्त झालेल्या माहितीचा उपयोग तुळी कसा करण्याची शक्यता आहे. संख्यात्मक संगोष्ठन प्रतिसाद हे वर्णन करणारे, शब्द न् शब्द जसाच्या तसा वापरलेले आणि मुद्द्यांमध्ये लिहिण्याच्या ओघात तार्किक क्रमाने, एकक्रित करता येऊ शकतात. असंरचित मुलाखती हा प्रामुख्याने गुणात्मक संशोधनात योजल्या जातात.

केवलूने प्रश्न, तेच शब्द वापरून, त्याच क्रमाने विचारत असतो. निर्धारित मुलाखत ही पुढीत-मध्यादा किंवा गंदिस्त प्रश्नांना, एकमेकांसामोरच्या आंतरिक्येसाठी वापरण्याकरिता, कदाचित समारोसमोर, दूरध्यनीद्वारे किंवा इतर इलेक्ट्रॉनिक मध्यांदारे येतला जाते. यात लिखित स्वरूपातील प्रश्नांची यादी असते. निर्धारित संशोधन हे तंत्र आहे, जे तथ्य संकलनासाठी वापरले जाणि आणि मुलाखत घेणे ही तथ्य संकलनाची पद्धत आहे. संरचित मुलाखतीचा एक मुख्य फायदा म्हणजे यातून एकसाऱ्या माहिती निळते व प्राप्त तथ्यांची खात्रीने तुलना करता येते. संरचित मुलाखतीसाठी असंरचित मुलाखतीपेक्षा कमी अनुर्ध्वांगी गरज असते.

ii) संरचित मुलाखत - संरचित मुलाखतीमध्ये संशोधक निर्धारित मुलाखतीत विशिष्ट प्रकारे उत्वल्यानुसार पूर्वीच निश्चित वापरतलेल्या ग्रज्बांची प्रमाणवद्धता, अर्थ आणि स्पष्टीकरण याआधारे संपूर्णपणे पूर्वचाचणी येतलेली, मुलाखतकारकफूल येतला जाते. यात लिखित स्वरूपातील प्रश्नांची यादी असते. निर्धारित संशोधन हे तंत्र आहे, जे तथ्य संकलनासाठी वापरले जाणि आणि मुलाखत घेणे ही तथ्य संकलनाची पद्धत आहे. संरचित मुलाखतीचा एक मुख्य फायदा म्हणजे यातून एकसाऱ्या असतात. हा फरक, दोन्ही पद्धतीनील सामर्थ्य व त्रुटी पाहण्यासाठी आणि तथ्य संकलित करण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या अनुर्ध्वांगी उपयोगात आहे.

प्रश्नावली - प्रश्नावली ही लिखित प्रश्नांची एक यादी असते, ज्यात प्रतिसादकांनी उत्तरे नोंदवायची असतात. प्रतिसादक असन वाचतो, त्याचा अर्थेद्वारा अर्थ लावतो आणि नंतर उत्तरे लिहितो. नियोजित मुलाखत ही पुढीत-मध्यादा किंवा गंदिस्त प्रश्नांना, एकमेकांसामोरच्या आंतरिक्येसाठी वापरण्याकरिता, कदाचित समारोसमोर, दूरध्यनीद्वारे किंवा इतर इलेक्ट्रॉनिक मध्यांदारे येतला जाते. यात लिखित स्वरूपातील प्रश्नांची यादी असते. निर्धारित संशोधन हे तंत्र आहे, जे तथ्य संकलनासाठी वापरले जाणि आणि मुलाखत घेणे ही तथ्य संकलनाची पद्धत आहे. संरचित मुलाखतीचा एक मुख्य फायदा म्हणजे यातून एकसाऱ्या असतात. ते पुढीलप्रमाणे.

संदर्भ -

- १) रणजित कुमार - संशोधन पद्धती, सेज पब्लिकेशन इंडिया प्रा.लि., नवी दिल्ली, २०१७
- २) डॉ. सुधार बोधनकर, प्रा. विवेक अलोपणी - सामाजिक संशोधन पद्धती, श्री राजीनाथ प्रकाशन, नागपूर, चतुर्थ अवृत्ती जानवारी २००७
- ३) प्रा. रा. ना. घाटोळे - समाजशास्त्रीय संशोधन तत्व व पद्धती, मंगळ प्रकाशन, नागपूर
- ४) डॉ. मांगायर विकायंदे पाटील - संशोधन पद्धती, वेतन्य पब्लिकेशन, नागपूर
- ५) डॉ. प. ल. भांडारकर - सामाजिक संशोधन पद्धती, महाराष्ट्र विद्या, ग्रंथ निर्मिती मंडळ, नागपूर १९९१
- ६) Mathur, S. S. - A Sociological Approach in Indian Education, Vinod Pustak Mandir, Agra, १९७९

ISSN 0975-119X

UGC-CARE GROUP I LISTED

वर्ष १२ अंक २ मार्च-अप्रैल २०२० मूल्य ₹१५००

हिंदी कौटुम्ब

कहाना, मानविकी इति वाणिज्य की मानक शौक्त पत्रिका

India's Leading Refereed Hindi Language Journal

Impact Factor : 5.051



जैरिक कालीन गुरुकुल विद्यालयीय प्रणाली तथा आधुनिक विद्यालयीय प्रणाली के सहशैक्षिक पहलुओं का तुलनात्मक अध्ययन—आकांक्षा सिन्हा; प्रो० (डॉ०) रजनी रंजन सिंह	2583
विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि का उनके अर्द्धमस्तिष्ठीय प्रभुत्व के सन्दर्भ में अध्ययन—आसुतोष कुमार तिवारी; प्रो० (डॉ०) रजनी रंजन सिंह	2588
शिक्षार्थियों के शैक्षिक मूल्यांकन में समावेशन की स्थिति—अभिषेक कुमार; प्रो० (डॉ.) रजनी रंजन सिंह	2593
जैन साहित्य और कला में प्रतिबिम्बित सामाजिक एवं आर्थिक जीवन: एक अवलोकन—राजू यादव	2600
हर्षण उपन्यास में स्त्री जीवन का यथार्थ: एक दृष्टि—डॉ० समर जीत सुमन	2605
बाल अपचारियों से सम्बन्धित नीतियाँ—डॉ० अमृता श्रीवास्तव	2609
अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ का अभियान एवं रानी पद्मिनी—डॉ० शिवकुमार मिश्रा	2613
भारत में मानवाधिकार: न्यायपालिका और न्यायिक सक्रियता की भूमिका—तरुषी पांडेय	2618
भारतीय समाज में जातीय व्यवस्था: एक विवेचना—डॉ० शिखा सवसेना	2623
दुग्ध उत्पादन में दुग्ध सहकारी संघ चम्पावत की भूमिका का अध्ययन—शंकर नाथ गोस्वामी; डॉ० उमेश चन्द्र आर्या	2628
छत्तीसगढ़ के मानव विकास सूचकांक का विश्लेषणात्मक अध्ययन—डॉ० रशिम पाण्डेय	2635
अफगान-शांति समझौता एवं चुनौतियाँ—सुबोध मणि त्रिपाठी	2639
स्थानीय प्रशासन के नवीन आयाम एवं चुनौतियाँ—डॉ० श्याम किशोर उपाध्याय	2643
जिला भोजपुर में महिला साक्षरता दर के परिवर्तनशील स्थानिक वितरण प्रतिरूप का विश्लेषण—अनिल कुमार शर्मा	2648
भारत का स्वतंत्रता संघर्ष और उसका स्थानीय स्वर: गोरखपुर के विशेष सन्दर्भ में—दिलीप कुमार राय; प्रो० संतोष कुमार	2654
भारत के प्राचीन शिक्षा व्यवस्था में गुरुकुल का महत्व—प्रभु दयाल जयंत	2659
जातक कथाओं में वर्णित व्यापारिक केन्द्र एवं व्यापार व्यवस्था—रेशमा खातून	2663
शिक्षा के विकास महात्मा का गाँधी योगदान—डॉ० कमल प्रसाद बौद्ध	2666
सामाजिक एवं राजनीतिक विकास में डॉ० बी. आर. अम्बेडकर का योगदान—उपेन्द्र कुमार दास	2671
राजनीति विज्ञान में तथ्य-मूल्य विवाद—डॉ० धीरेन्द्र त्रिपाठी	2677
बालिका शिक्षा: अनुसूचित जनजातीय के संदर्भ में—एमलिन केरकट्टा	2682
वर्ण व्यवस्था के विघटन का आर्थिक कारण—डॉ० त्रयम्बकेश्वर कुमार	2685
अरुण प्रकाश की संघष-यात्रा—कोमल कुमारी	2689
भारतीय लोकतंत्र की वर्तमान स्थिति और डॉ० बाबासाहेब अम्बेडकर—डॉ० अनिल विठ्ठल बाविस्कर	2693
स्वरोजगार के माध्यम से देश के विकास में योगदान—डॉ० परीक्षित लायेक	2697
जाति व्यवस्था में अनुसूचित जातियाँ—इनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं वर्तमान परिस्थितियों का एक भौगोलिक अध्ययन—डॉ० जोगेन्द्र सिंह खोखर	2702
'ऐ लड़की' उपन्यास में स्त्री विर्माण—नदीम अहमद	2710
आचार्य कुन्दकुन्द की रचनाओं में आत्म विरूपण—डॉ० दुधनाथ चौधरी	2713
खुबीर सिंह 'अरविन्द' रचित बुद्ध-चरित महासागर के आधार पर गौतम बुद्ध का महाभिनिष्क्रमण—लक्ष्मण शर्मा	2718

भारतीय लोकतंत्र की वर्तमान स्थिति और डॉ० बाबासाहेब अम्बेडकर

डॉ० अनिल विठ्ठल बाविस्कर

सहयोगी प्राध्यापक, इतिहास विभाग प्रमुख, कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, अक्कलकुवा, महाराष्ट्र

सारांश:

आज भारत में लोकतंत्र के साथ-साथ राजनीतिक लोकतंत्र की शुरुआत के कारण, हालांकि कुछ जाति समूहों को इससे लाभ हुआ है, हम उसी लोकतंत्र के साथ-साथ सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र लाने में पूरी तरह से विफल रहे हैं। इससे देश में सामाजिक वातावरण काफी हद तक प्रदूषित हो रहा है और भारतीय लोकतंत्र में हर जाति समूह की आशाओं, अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने में मुश्किलें पैदा हो रही हैं। डॉ० अम्बेडकर के लोकतांत्रिक विचार के अनुसार लोकतंत्र की सफलता के लिए निम्नलिखित बातों को प्राथमिकता देनी चाहिए। उस कारण से समाज में असमानता न हो, ऊँच-नीच न हो, समाज में उत्तीर्णित और उत्पीड़िक वर्ग न हो, अर्थात् कोई वर्ग न हो, यदि यह वर्ग है तो ऐसे वर्ग में रक्तरन्जित क्रान्ति के बीज होते हैं, अतः समाज की खाई लोकतंत्र की सफलता में एक बड़ा पत्थर है। इसे अवश्य ही पार करना चाहिए। आज भारत के लोकतंत्र, भारतीय लोकतंत्र और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में पूँजीपतियों की एक नई जमात के उदय के कारण जनप्रतिनिधियों पर पूँजीपतियों का वर्चस्व बढ़ने से राजनीतिक संस्थाओं और न्याय व्यवस्था में बड़े बदलाव हो रहे हैं। प्रणाली। इसलिए, आज नए भारत के निर्माण के लिए बाबासाहेब के वैचारिक योगदान को कोई भी कम नहीं कर सकता है, इसलिए आज देश के विकास के लिए अम्बेडकर के विचारों की व्यावहारिक नींव को मजबूत करना आपके लिए आवश्यक है, तभी डॉ० इसमें कोई संदेह नहीं है कि अम्बेडकर की कल्पना के अनुसार भारतीय लोकतंत्र गहराएगा।

परिचय:

स्वयं डॉ बाबासाहेब अम्बेडकर के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और शैक्षिक चिंतन का केंद्र बिंदु है। इसीलिए डॉ० बाबासाहेब अम्बेडकर की लोकतंत्र में गहरी आस्था थी जिसने रक्त के माध्यम से लोगों के सामाजिक और आर्थिक विकास में क्रांतिकारी बदलाव लाए। यद्यपि जनता का शासन सरकार के सभी रूपों में सरकार का सबसे अच्छा रूप है, उन्हें भारत में लोगों की सफलता के बारे में संदेह था, जो अंधविश्वासों, रीति-रिवाजों और परंपराओं की गहराई में जकड़ा हुआ था। क्योंकि स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व के सिद्धांतों पर बनी विचारधारा को स्वीकार करते हुए भारत के इतिहास, प्रचलित आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, एक सफल लोकतंत्र, सामाजिक एकता, एक प्रभावी विपक्ष के लिए आवश्यक शर्तों को ध्यान में रखते हुए सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष में लोकप्रियता, राजनीति में नैतिकता, कानून के समक्ष समानता के मुद्दे पर सद्भाव का माहौल, और बहुसंख्यक अल्पसंख्यक की सुरक्षा की गारंटी देने वाली भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को उन्होंने नहीं देखा। फिर भी, लोकतंत्र समाज और दलितों, मजदूरों, महिलाओं, समाज के मेहनती सदस्यों के विकास के लिए उपयोगी है। इसलिए साथ ही लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए समाज में जागरूकता का व्यापक स्तर पर होना आवश्यक है, अतः सामाजिक सुधार के साथ-साथ सामाजिक प्रबोधन आवश्यक था, इसीलिए जाति व्यवस्था को हिला देने वाले वे पहले व्यक्ति थे। भारत में आज लोकतंत्र के साथ-साथ राजनीतिक लोकतंत्र भी आ गया है, हालांकि कुछ जाति समूहों को इसका लाभ मिला है। इस लोकतंत्र

दृष्टिकोण

के साथ-साथ हम सामाजिक और गैर-लोकतंत्र लाने में पूरी तरह विफल रहे हैं। इस वजह से आज देश में सामाजिक प्रत्येक जाति समूह के सदस्यों की आशाओं, अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कठिन होता जा रहा है। आज सामाजिक और जातिगत धर्वीकरण की प्रक्रिया तेज होगई है।

आज देश में सबके मन में असुरक्षा की भावना है। इसलिए आज भारतीय लोकतंत्र एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। अम्बेडकर जिस लोकतंत्र की आशा करते थे, उसके लिए वे कहते हैं, जब तक ब्रिटिश सरकार थी, हम अपने देश में अबुरे की जिम्मेदारी उन पर डाल रहे थे, लेकिन अब जब हम स्वतंत्र हो गए हैं, तो अच्छे और बुरे की जिम्मेदारी हमारा होगा, अब हमें और जिम्मेदारी से काम लेना होगा। लेकिन देश की मौजूदा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को देखते हैं देखा जा सकता है कि भारतीय लोकतंत्र की परीक्षा का दौर शुरू हो रहा है, लेकिन भारतीय लोकतंत्र आज भी दफन है। डॉ. अम्बेडकर जाता है। लोकतंत्र पर अम्बेडकर के विचार और आज उस विचार की प्रासंगिकता क्रमिक हो जाता है।

शोध निबंध के उद्देश्य:

- 1) डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर के लोकतांत्रिक विचारों का अध्ययन करना।
- 2) भारतीय लोकतंत्र के संबंध में डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर के विचारों की प्रासंगिकता का अध्ययन करना।
- 3) भारतीय लोकतंत्र के परिवर्तन का अध्ययन करना।

शोध निबंध परिकल्पना :

- 1) भारतीय लोकतंत्र आज बड़े पैमाने पर बदलाव के दौर से गुजर रहा है।
- 2) आज भारतीय लोकतंत्र का चेहरा काफी हद तक बदलता नजर आ रहा है।
- 3) भारतीय लोकतंत्र में डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर के विचारों को बल मिलता नहीं दिख रहा है।

अनुसंधान क्रियाविधि:

यह शोध प्रबंध वर्णनात्मक ढंग से किया गया है। इस शोध निबंध में प्राथमिक एवं द्वितीयक सामग्री का प्रयोग किया गया है। तथा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर भारतीय लोकतंत्र, लोकतंत्र की स्थिति में परिवर्तन पर डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर के विचारों के उपयोगी हैं, इसका वस्तुनिष्ठ विश्लेषण किया गया है।

लोकतंत्र और डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर:

डॉ. जैसा कि अम्बेडकर लोकतंत्र के समर्थक हैं, लोकतंत्र की उनकी अवधारणा राजनीतिक स्वतंत्रता, समानता, वंशुत्व व सशक्तिकरण पर निर्भर करेगा। इसलिए, उनका दृढ़ विश्वास था कि यदि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र नहीं होगा तो राजनीतिक लोकतंत्र सफल नहीं होगा। इसलिए लोकतंत्र के बारे में उनका कहना है कि यह शासन की ऐसी व्यवस्था है जो रक्तपात का सहारा लिए बिना लोगों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाती है, लेकिन उसका भविष्य उसके कार्यों पर निर्भार करेगा। मई 1956 में डॉ. वॉयस ऑफ अमेरिका द्वारा आयोजित एक संगोष्ठी में भारतीय लोकतंत्र के भविष्य पर व्याख्यान दिए हुए अम्बेडकर ने कहा कि लोकतंत्र का मतलब गणतंत्र या संसदीय सरकार नहीं दिया जाता है। कहा जाता है भारत के इतिहास में इस संस्कृति को देखते हुए भारत में लोकतंत्र विकसित नहीं हुआ है, लेकिन लोकशाही यूरोपीय देशों के विकास के माध्यम से भारत में आई है। तो हमारे देश में लोकतंत्र कैसे सफल होगा? उनका दर्शन लौकिक लोकतंत्र के विकास और विचार का केंद्र बिंदु बना हुआ है।

डॉ. अम्बेडकर के लोकतांत्रिक विचार के अनुसार लोकतंत्र की सफलता के लिए निम्नलिखित बातों को प्राथमिकता देनी चाहिए। उसके लिए वे कहते हैं कि समाज में असमानता नहीं होनी चाहिए, ऊंच-नीच नहीं होनी चाहिए, समाज में उत्पीड़ित और उत्पीड़ित वर्ग यानी गरीब और गरीब नहीं होना चाहिए। अतः समाज में व्याप्त खाई लोकतंत्र की सफलता में सबसे बड़ा पर्याप्त है। इसे पारित करने की जरूरत है। क्योंकि विश्व में लोकतंत्र के इतिहास पर नजर डालें तो सामाजिक एकता के अभाव में लोकतंत्र नष्ट हुआ।

है। इसलिए भारत में जाति आधारित समाज में सर्वप्रथम ज्ञात और अस्पृश्यता के कारण सामाजिक विषमता को मिटाना आवश्यक है।

राजनीतिक दलों के रूप में सत्तारूढ़ पार्टी के बजाय विपक्ष का अस्तित्व लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दृढ़ता महत्वपूर्ण है। क्योंकि विपक्षी दल ही सत्ताधारी दल को सत्ता में ला सकते हैं। इसलिए विरोधी दल को सदैव विवेक की भूमिका खींकर करनी चाहिए। अम्बेडकर की राय। साथ ही, एक और बात जो एक मजबूत लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, वह यह है कि नैतिकता पर सबसे अधिक जोर दिया जाता है, इसलिए राजनीतिक और सामाजिक जीवन में आगे बढ़ते हुए सभी को नैतिकता का उच्च स्तर रखना चाहिए। साथ ही, उच्च स्तर की नैतिकता विवेक के साथ होनी चाहिए। तभी सभी को अच्छे और बुरे के बीच का अंतर पता चलेगा, इसलिए वे हमेशा न्याय के पक्ष में रहेंगे, इसलिए लोकतंत्र में कानून के सामने सभी समान होंगे। इसलिए लोकतंत्र में कोई भी अपने को असुरक्षित महसूस नहीं करेगा, इसलिए बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों की भावनाओं को कुचला नहीं जा सकता, इसलिए न्याय की भूमिका तभी विकसित होगी, जब बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों के बीच समझ का माहौल बनेगा।

भारतीय लोकतंत्र की वर्तमान स्थिति:

लोकतांत्रिक और सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण भारत के संघर्ष में अंबेडकर की भूमिका को देखते हुए आज भारतीय लोकतंत्र में अंबेडकर के विचारों की विरासत को हड़पने की प्रवृत्ति काफी मजबूत हो गई है। यद्यपि नए भारत के निर्माण में बाबासाहेब का वैचारिक योगदान असामान्य है, क्योंकि बाबासाहेब के बाद आज उनके विचारों की व्यापक रूप से आलोचना हो रही है, दक्षिणपंथी हिंदुत्व विचारधारा ने प्रगति के देश में राजनीतिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित किया है। इसलिए भारतीय लोकतंत्र में साम्राज्यिकता का जोर आज वैचारिक और राजनीतिक क्षेत्रों में बड़ी अस्थिरता पैदा होने के कारण काफी हद तक बढ़ गया है, अज्ञानता काफी हद तक बढ़ गई है। इसलिए देखा जा रहा है कि आज सामाजिक समरसता, एकता खतरे में है। इसलिए आज बहुसंख्यकों के बड़े-बड़े हमले अल्पसंख्यकों को उदासीन बना देने के रूप में देखे जाते हैं, क्योंकि बहुसंख्यकों के बारे में सच्ची और दृढ़ राय व्यक्त करने वालों को देशद्रोही माना जाता है और बहुसंख्यकों के विचारों से समानता दिखाने वालों को देशभक्त माना जाता है। इसलिए आज भारतीय लोकतंत्र में विचारधारा, नैतिकता और विवेक खतरे में है। साथ ही, शक्ति केंद्र के बाहर एक नया शक्ति केंद्र बनने के कारण, शक्ति केंद्र बाहरी शक्ति केंद्र द्वारा शक्ति केंद्र के रिमोट कंट्रोल के अधीन है, और भारतीय लोकतंत्र के लिए यह अच्छी बात नहीं है कि वह इसके माध्यम से सत्ता चलाए रिमोट कंट्रोल। यद्यपि शिक्षा और रोजगार के माध्यम से आज भारतीय लोकतंत्र में नया नेतृत्व उभर रहा है, लेकिन उस नेतृत्व की सीमाएं आज उजागर हो रही हैं। आज भारतीय लोकतंत्र में पूँजीपतियों के एक नए वर्ग के उदय के कारण भारतीय लोकतंत्र और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में पूँजीपतियों के उदय के कारण राजनीतिक संस्थाओं और न्याय व्यवस्था में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। साथ ही राजनीति और धर्म के एकीकरण को देखते हुए आज भारतीय लोकतंत्र में सामाजिक धर्वीकरण की गति बढ़ने से लोकतंत्र पर धर्म की जीत देखी जा सकती है। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता पर हावी होने के लिए समझौते और प्रतिस्पर्धा की राजनीति में वृद्धि के कारण आज अंबेडकर को भारतीय लोकतंत्र के बारे में जो शंकाएँ थीं, वे बड़े पैमाने पर सामने आ रही हैं। आरक्षण की शंका आज एक बड़ी बाधा बनती जा रही है, इससे विचारों की उम्मीदों और उम्मीदों पर पानी फिरने लगा है।

आज भारतीय लोकतंत्र में वंशानुक्रम और परंपरा पर आधारित परिवारिक शासन भी लोकतंत्र की सफलता में एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। इसलिए भारतीय लोकतंत्र में बोट देने का अधिकार कुछ हद तक सीमित नजर आता है, इसलिए हालांकि लोकतंत्र में वंशवाद थोपना गलत है, लेकिन वंशवाद आज भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है। आज किसानों, दलितों, आदिवासियों, महिलाओं, पिछड़ी जातियों, लैंगिक भेदभाव के मुद्दों को दबाया जा रहा है और भारतीय लोकतंत्र को पूँजीवाद के हितों में उलझा दिया गया है। फासीवादी विचारधारा विपक्ष को दबाने के लिए जोर पकड़ रही है। साथ ही सरकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया का भी गला घोंटने की कोशिश कर रही है। इसलिए भारतीय लोकतंत्र आज खतरे में नजर आ रहा है, लेकिन लोकतंत्र की इस परीक्षा की घड़ी में भारतीय लोग गहरे विचारक हैं क्योंकि भारतीय लोकतंत्र का ऐसे कठिन समय में परीक्षण किया गया है, यह शारीरिक तरीके से, रुक्हीन क्रांति के माध्यम से दुनिया को शून्य से बना सकता है, और यह दुनिया से शून्य भी ला सकता है। इसलिए भारत दूसरे देशों के लिए लोकतंत्र का मार्गदर्शक बन रहा है, इसका श्रेय डॉ. अंबेडकर के पास जाता है। इसलिए वर्तमान स्थिति में भारतीय लोकतंत्र को पुनर्गठित करने के लिए और डॉ. अंबेडकर के लोकतांत्रिक विचारों के आकाश में उड़ने के लिए आज भारतीय लोकतंत्र फिर से डॉ. यह निश्चित है कि हमें अंबेडकर की सोच की ओर मुड़ना होगा।

glossary

general

Il vissere è considerato come un'attività comune di tutti gli esseri viventi e non solo degli animali ma anche delle piante e dei minerali. Il termine "vissere" si riferisce all'attività di sopravvivenza e di crescita di un organismo. Il termine "vita" si riferisce alla capacità di crescita, riproduzione e sopravvivenza di un organismo. Il termine "vissere" è usato per indicare l'attività di sopravvivenza e di crescita di un organismo. Il termine "vita" è usato per indicare l'attività di sopravvivenza e di crescita di un organismo.

life

Il termine "vissere" indica l'attività di sopravvivenza e crescita di un organismo. Il termine "vita" indica l'attività di sopravvivenza e crescita di un organismo. Il termine "vissere" è usato per indicare l'attività di sopravvivenza e crescita di un organismo. Il termine "vita" è usato per indicare l'attività di sopravvivenza e crescita di un organismo.